

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5685/2026

Shubham Sharma Alias Kannu Baccha S/o Shri Narender Sharma, Aged About 19 Years, R/o Shastri Colony, Near Aadarsh School, Ganesh Pura Road, Police Station Railway Colony Kota City, Kota (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail, Kota).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7158/2026

Sumit Kalosiya @ Sumbha S/o Jitendra Kalosiya, Aged About 21 Years, R/o Near Old Railway Phatak, Nehru Nagar, P.s. Bhimganjmandi, Kota. (Raj.) (At Present Confined In District Jail Kota).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Paras Jain Mr. Samarth Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
(V. J.)

Order

08/06/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु ये पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना भीमगंज मण्डी, कोटा शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-52/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126 (2), 189(2) व 109(1)

भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत आवेदन पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, प्रार्थीगण शुभम शर्मा एवं सुमित कलोसिया क्रमशः दिनांक 06.03.2026 एवं 22.04.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में मजरुब लतीफ मोहम्मद के शरीर में कुल 6 चोटें आई हैं जिनमें चोट संख्या-4 गंभीर प्रकृति की तथा अन्य सभी साधारण प्रकृति की आना बताया गया है, चोट संख्या-4 दाहिनी अंगुली से संबंधित है, जिसमें उसकी अंगुली नहीं कटी है तथा मजरुब के शरीर पर आई कोई भी चोट प्राणघातक नहीं रही है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में मजरुब लतीफ मोहम्मद के शरीर पर आई चोटें प्राणघातक नहीं रही हैं, उसके मार्मिक अंग पर भी कोई चोट नहीं है, अंगुली कटने की कोई रिपोर्ट नहीं है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थीगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. शुभम शर्मा उर्फ कन्नु बच्चा पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा एवं 2. सुमित कलोसिया उर्फ शुम्भा पुत्र श्री जितेन्द्र कलोसिया** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J